

**असाधा**रण

## **EXTRAORDINARY**

भाग II—खण्ड 3—डप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राविकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 475]

नई दिल्ली, मंगलकार, जुलाई 28, 2015/श्रायण 6, 1937

No. 4751

NEW DELHI, TUESDAY, JULY 28, 2015/SRAVANA 6, 1937

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग)

## अविसूचना

नई दिल्ली, 27 जुलाई, 2015

सा.का.नि. 588(अ):- राष्ट्रपति, संविधान के अनुष्टेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (समूह "क" पद) भर्ती नियम, 2009 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

- 1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विचाग (समूह "क" पद) भर्ती संज्ञोद्यन नियम, 2015 है।
  - (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगें।
- 2. संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (समूह "क" पद) भर्ती नियम, 2009 की अनुसूची में,
- (क) प्रोन्नित शीर्ष के अधीन स्तम्म संख्या 12 में, निदेशक के पद के सामने क्रम संख्या 01 में टिप्पण 03 और उससे संबंधित प्रविश्टियों के पश्चात निम्निलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात:-

"टिप्पण 04: भर्ती के वर्ष के पहले दिन ग्रेड में पदावास (रेजीडॅसी) अवधि के रूप में की गयी अनुमोदित सेवा की गणना प्रोन्नति के लिए की जाएगी । मर्सी की विभिन्न पद्धतियों के लिए अनुमोदित सेवा की परिभाषा निम्नानुसार होगी:

- (I) जस ग्रेंड में सीधी भर्ती से चयनित किसी अधिकारी के सदर्भ में, जस ग्रेंड में की गयी नियमित सेवा की अवधि या अवधियां, जिसमें/जिनमें अनुपस्थिति की अवधि अध्या अवधियां शामिल हैं जिसके/जिनके दौरान जसने जस ग्रेंड में नियमित आधार पर कोई पद धारित किया होता, परन्तु उसके छुट्टी पर होने अध्या ऐसा पद धारित करने के लिए अन्यथा उपलब्ध न होने के नाते जस वर्ष, जिसमें सीधी भर्ती के लिए परीक्षा आयोजित की गयी थी, से आगामी भर्ती के वर्ष के पहले दिन से;
- (II) जस ग्रेड में विभागीय परीक्षा के माध्यम से भर्ती किए गए किसी अधिकारी के सदर्भ में, जस ग्रेड में की गयी नियमित सेवा की अविध या अविधयां, जिसमें/जिनमें अनुपस्थिति की अविध अथवा अविधयां शामिल हैं जिसके/जिनके दौरान उसने उस ग्रेड में नियमित आधार पर कोई पद धारित किया होता, परन्तु उसके छुट्टी पर होने अथवा ऐसा पद धारित करने के लिए अन्यथा उपलब्ध न होने के नाते उस वर्ष, जिसकी रिक्तियों के लिए ऐसी परीक्षा आयोजित की गयी थी. भर्ती के वर्ष के पहले दिन से:
- (III) जस ग्रेड में किसी निम्नतर ग्रेड में सेवा की अविष के आधार पर भर्ती किए गए किसी अधिकारी के सर्दर्भ में, उस ग्रेड में की गयी नियमित सेवा की अविष या अविषयां, जिसमें/जिनमें अनुपरिथित की अविष अथवा अविषयां शामिल हैं जिसके/जिनके दौरान उसने उस ग्रेड में नियमित आधार पर कोई

पद भारित किया होता, परन्तु उसके छुट्टी पर होने अथवा ऐसा पद भारित करने के लिए अन्यथा उपलब्ध न होने के नाते उस वर्ष, जिसके लिए भर्ती की गयी थी, भर्ती के वर्ष के पहले दिन से;

परन्तु उपर्युक्त उपखंड (i), (ii) और (iii) में उल्लिखित किसी भी मामले में जहां नियुक्ति पर कार्यब्रहण करने में 90 दिन से अधिक का विलम्ब होता है, तो ऐसा विलम्ब अधिकारी की ओर से किसी भी चूक के कारण नहीं होना चाहिए।

टिप्पण 05 : जहां ऐसे कनिष्ठ अधिकारियों, जिन्होंने अपनी अर्हक /पात्रता सेवा पूरी कर ली है पर प्रोन्नित के लिए विचार किया जा रहा है, वहां उनके वरिष्ठ 'अधिकारियों पर भी विचार किया जाएगा बसतें कि उनकी अपेक्षित अर्हक /पात्रता सेवा ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक अथवा दो वर्ष, जो भी कम हो, से कम न हो, और अपने कनिष्ठ अधिकारियों, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है के साथ अगले उच्चतर ब्रेड में प्रोन्नित के लिए परिवोधा अविध सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो";

(ख) प्रोन्नित शीर्ष के अधीन स्तम्म संख्या 12 में संयुक्त निदेशक के पद के सामने क्रम संख्या 02 में टिप्पण 03 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्निलिखत अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात:-

"टिप्पण 04: भर्ती के वर्ष के पहले दिन ग्रेंड में पदाबास (रेज़ीडेंसी) अबिध के रूप में की गयी अनुमोदित सेवा की गणना प्रोन्नित के लिए की जाएगी। भर्ती की विभिन्न पद्धतियों के लिए अनुमोदित सेवा की परिभाषा निम्नानुसार होगी:

- (I) जस ग्रेंड में सीघी भर्ती से चयनित किसी अधिकारी के सदर्भ में, उस ग्रेंड में की गयी नियमित सेवा की अवधि या अवधियां, जिसमें/जिनमें अनुपस्थिति की अवधि अथवा अवधियां शामिल हैं जिसके/जिनके दौरान उसने उस ग्रेंड में नियमित आधार पर कोई पद धारित किया होता, परन्तु उसके छुट्टी पर होने अथवा ऐसा पद धारित करने के लिए अन्यथा उपलब्ध न होने के नात उस वर्ष, जिसमें सीधी भर्ती के लिए परीक्षा आयोजित की गयी थी, से आगामी भर्ती के वर्ष के पहले दिन से;
- (II) जस ग्रेड में विभागीय परीक्षा के माध्यम से भर्ती किए गए किसी अधिकारी के सदर्भ में, जस ग्रेड में की गयी नियमित सेवा की अविध या अविधयां, जिसमें/जिनमें अनुपस्थित की अविध अथवा अविधयां शामिल हैं जिसके/जिनके दौरान जसने जस ग्रेड में नियमित आधार पर कोई पद घारित किया होता, परन्तु जसके घुड़ी पर होने अथवा ऐसा पद घारित करने के लिए अन्यथा उपलब्ध न होने के नाते जस वर्ष, जिसकी रिक्तियों के लिए ऐसी परीक्षा आयोजित की गयी थी, भर्ती के वर्ष के पहले दिन से;
- (III) उस ग्रेड में किसी निम्नंतर ग्रेड में सेवा की अवधि के आधार पर भर्ती किए गए किसी अधिकारी के सदर्भ में, उस ग्रेड में की गयी नियमित सेवा की अवधि या अवधियां, जिसमें/जिनमें अनुपस्थिति की अवधि अथवा अवधियां शामिल हैं जिसके/जिनके दौरान उसने उस ग्रेड में नियमित आधार पर कोई पद धारित किया होता, परन्तु उसके छुट्टी पर होने अथवा ऐसा पद शारित करने के लिए अन्यथा उपलब्ध न होने के नाते उस वर्ष, जिसके लिए भर्ती की गयी थी. भर्ती के वर्ष के पहले दिन से:

परन्तु जपर्युक्त जपखंड (i), (ii) और (iii) में जिल्लिखत किसी भी मामले में जहां नियुक्ति पर कार्यब्रहण करने में 90 दिन से अधिक का विलम्ब होता है, तो ऐसा विलम्ब अधिकारी की ओर से किसी भी चुक के कारण नहीं होना चाहिए।

टिप्पण 05: जहां ऐसे किनष्ठ अभिकारियों, जिन्होंने अपनी अर्हक /पात्रता सेवा पूरी कर ली है पर प्रोन्नित के लिए विचार किया जा रहा है, वहां उनके वरिष्ठ अधिकारियों पर भी विचार किया जाएगा बशतें कि उनकी अपेक्षित अर्हक /पात्रता सेवा ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक अथवा दो वर्ष, जो भी कम हो, से कम न हो, और अपने किनष्ठ अधिकारियों, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है के साथ अगले उच्चतर ग्रेड में प्रोन्नित के लिए परिवीक्षा अविध सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो";

(ग) प्रतिनियुक्ति शीर्ष के अधीन स्तम्भ संख्या 12 में संयुक्त निदेशक (हिंदी) के पद के सामने क्रम संख्या 03 में टिप्पण 02 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात:-

"टिप्पण 03: भर्ती के वर्ष के पहले दिन ग्रेंड में पदाबास (रेज़ीडेंसी) अवधि के रूप में की गयी अनुमोदित सेवा की गणना प्रोन्नति के लिए की जाएगी। भर्ती की विभिन्न पद्धतियों के लिए अनुमोदित सेवा की परिभाषा निम्नानुसार होगी:

- (I) जस ग्रेड में सीधी भर्ती से चयनित किसी अधिकारी के सदर्भ में, जस ग्रेड में की गयी नियमित सेवा की अवधि या अवधियां, जिसमें/जिनमें अनुपस्थिति की अवधि अथवा अवधियां शामिल हैं जिसके/जिनके दौरान जसने जस ग्रेड में नियमित आधार पर कोई पद धारित किया होता, परन्तु जसके छुट्टी पर होने अथवा ऐसा पद धारित करने के लिए अन्यथा जपलब्ध न होने के नाते जस वर्ष, जिसमें सीधी भर्ती के लिए परीक्षा आयोजित की गयी थी, से आगामी भर्ती के वर्ष के पहले दिन से;
- (II) जस ग्रेंड में विभागीय परीक्षा के माध्यम से भर्ती किए गए किसी अभिकारी के सदर्भ में, जस ग्रेंड में की गयी नियमित सेवा की अविध या अविधयां, जिसमें/जिनमें अनुपस्थित की अविध अथवा अविधयां शामिल हैं जिसके/जिनके दौरान उसने उस ग्रेंड में नियमित आधार पर कोई पद धारित किया होता, परन्तु उसके घुट्टी पर होने अथवा ऐसा पद धारित करने के लिए अन्यथा उपलब्ध न होने के नाते उस वर्ष, जिसकी रिक्तियों के लिए ऐसी परीक्षा आयोजित की गयी थी, भर्ती के वर्ष के पहले दिन से:
- (III) जस ग्रेंड में किसी निम्नतर ग्रेंड में सेवा की अवधि के आधार पर भर्ती किए गए किसी अधिकारी के सदर्भ में, उस ग्रेंड में की गयी नियमित सेवा की अवधि या अवधियां, जिसमें/जिनमें अनुपरिधित की अवधि अधवा अवधियां शामिल हैं जिसके/जिनके दौरान उसने उस ग्रेंड में नियमित आधार पर कोई पद धारित किया होता, परन्तु उसके छुट्टी पर होने अधवा ऐसा पद धारित करने के लिए अन्यधा उपलब्ध न होने के नाते उस वर्ष, जिसके लिए भर्ती की गयी थी, भर्ती के वर्ष के पहले दिन से;

ें परन्तु उपर्युक्त उपखंड (I), (II) और (III) में उल्लिखित किसी भी मामले में जहां नियुक्ति पर कार्यप्रहण करने में 90 दिन से अधिक का विलम्ब होता है, तो ऐसा विलम्ब अधिकारी की ओर से किसी भी चूक के कारण नहीं होना चाहिए।

टिप्पण 04: जहां ऐसे कनिष्ठ अधिकारियों, जिन्होंने अपनी अर्डक /पात्रता सेवा पूरी कर ली है पर प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा है, वहां उनके विश्व अधिकारियों पर भी विचार किया जाएगा बशतें कि उनकी अपेबित अर्डक /पात्रता सेवा ऐसी अर्डक/पात्रता सेवा के आबे से अधिक अथवा दो वर्ष, जो भी कम हो, से कम न हो, और अपने कनिष्ठ अधिकारियों, जिन्होंने ऐसी अर्डक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है के साथ अगले उच्चतर ग्रेड में प्रोन्नति के लिए परिवीक्षा अविध सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो";

(घ) प्रतिनियुक्ति शीर्ष के अधीन स्तम्म संख्या 12 में विष्ठ प्रधान निजी सचिव के पद के सामने क्रम संख्या 04 में टिप्पण 02 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"टिप्पण 03: पर्ती के वर्ष के पहले दिन ब्रेड में पदावास (रेजींडेंसी) अवधि के रूप में की गयी अनुमोदित सेवा की गणना प्रोन्नित के लिए की जाएगी। भर्ती की विभिन्न पद्धतियों के लिए अनुमोदित सेवा की परिभाषा निम्नानुसार होगी:

- (I) जस ग्रेंड में सीघी भर्ती से चयनित किसी अधिकारी के सदर्भ में, उस ग्रेंड में की गयी नियमित सेवा की अवधि या अवधियां, जिसमें/जिनमें अनुपस्थिति की अवधि अथवा अवधियां शामिल हैं जिसके/जिनके दौरान उसने उस ग्रेंड में नियमित आधार पर कोई पद धारित किया होता, परन्तु उसके छुट्टी पर होने अथवा ऐसा पद धारित करने के लिए अन्यथा उपलब्ध न होने के नाते उस वर्ष, जिसमें सीघी भर्ती के लिए परीबा आयोजित की गयी थी, से आगामी भर्ती के वर्ष के पहले दिन से:
- (॥) जस ग्रेड में विभागीय परीक्षा के माध्यम से भर्ती किए गए किसी अधिकारी के सर्वर्ध में, उस ग्रेड में की गयी नियमित सेवा की अवधि या अवधियां, जिसमें/जिनमें अनुपरिथित की अवधि अथवा अवधियां शामिल हैं जिसके/जिनके दौरान उसने उस ग्रेड में नियमित आधार पर कोई पद धारित किया होता, परन्तु उसके घुट्टी पर होने अथवा ऐसा पद धारित करने के लिए अन्यथा उपलब्ध न होने के नाते उस वर्ष, जिसकी रिक्तियों के लिए ऐसी परीक्षा आयोजित की गयी थी, भर्ती के वर्ष के पहले दिन से;
- (III) जस ग्रेड में किसी निम्नतर ग्रेड में सेवा की अविध के आधार पर भर्ती किए गए किसी अधिकारी के सदर्भ में, उस ग्रेड में की गयी नियमित सेवा की अविध या अविधयां, जिसमें/जिनमें अनुपरिथित की अविध अधवा अविधयां शामिल हैं जिसके/जिनके दौरान उसने उस ग्रेड में नियमित आधार पर कोई पद धारित किया होता, परन्तु उसके छुट्टी पर होने अथवा ऐसा पद धारित करने के लिए अन्यथा उपलब्ध न होने के नाते उस वर्ष, जिसके लिए भर्ती की गयी थी, भर्ती के वर्ष के पहले दिन से;

परन्तु उपर्युक्त उपखंड (i), (ii) और (iii) में उल्लिखित किसी भी मामले में जहां नियुक्ति पर कार्यब्रहण करने में 90 दिन से अधिक का विलम्ब होता है, तो ऐसा विलम्ब अधिकारी की ओर से किसी भी चूक के कारण नहीं होना चाहिए।

टिप्पण 04 : जहां ऐसे किनष्ठ अधिकारियों, जिन्होंने अपनी अईक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है पर प्रोन्नित के लिए विचार किया जा रहा है, वहां उनके वरिष्ठ अधिकारियों पर भी विचार किया जाएगा बशर्ते कि उनकी अपेक्षित अर्डक /पात्रता सेवा ऐसी अर्डक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक अधवा दो वर्ष, जो भी कम हो, से कम न हो, और अपने किनष्ठ अधिकारियों, जिन्होंने ऐसी अर्डक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है के साथ अगले उच्चतर ब्रेड में प्रोन्नित के लिए परिवीक्षा अविध सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो";

(ड.) प्रोन्नित शीर्ष के अधीन स्तम्भ संख्या 12 में उप निदेशक के पद के सामने क्रम संख्या 05 में टिप्पण 02 और उससे संबंधित प्रविश्वियों के पश्चात निम्नितिखत अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात:-

"टिप्पण 03: भर्ती के वर्ष के पहले दिन ग्रेंड में पदावास (रेज़ीडेंसी) अवधि के रूप में की गयी अनुमोदित सेवा की गणना प्रोन्नति के लिए की जाएगी। भर्ती की विभिन्न पद्धतियों के लिए अनुमोदित सेवा की परिभाषा निम्नानुसार होगी:

- (I) उस ग्रेंड में सीधी भर्ती से चयनित किसी अधिकारी के सदर्भ में, उस ग्रेंड में की गयी नियमित सेवा की अवधि या अवधियां, जिसमें/जिनमें अनुपस्थित की अवधि अथवा अवधियां शामिल हैं जिसके/जिनके दौरान उसने उस ग्रेंड में नियमित आधार पर कोई पद बारित किया होता, परन्तु उसके छुट्टी पर होने अथवा ऐसा पद बारित करने के लिए अन्यथा उपलब्ध न होने के नाते उस वर्ष, जिसमें सीधी भर्ती के लिए परीक्षा आयोजित की गयी थी, से आगामी भर्ती के वर्ष के पहले दिन से:
- (॥) उस ग्रेंड में विभागीय परीक्षा के माध्यम से भर्ती किए गए किसी अधिकारी के सदर्भ में, उस ग्रेंड में की गयी नियमित सेवा की अवधि या अवधियां, जिसमें/जिनमें अनुपस्थित की अवधि अथवा अवधियां शामिल हैं जिसके/जिनके दौरान उसने उस ग्रेंड में नियमित आघार पर कोई पद घारित किया होता, परन्तु उसके छुट्टी पर होने अथवा ऐसा पद घारित करने के लिए अन्यथा उपलब्ध न होने के नाते उस वर्ष, जिसकी रिक्तियों के लिए ऐसी परीक्षा आयोजित की गयी थी, भर्ती के वर्ष के पहले दिन से;
- (iii) उस ग्रेड में किसी निम्नतर ग्रेड में सेवा की अवधि के आधार पर भर्ती किए गए किसी अधिकारी के सदर्भ में, उस ग्रेड में की गयी नियमित सेवा की अवधि या अवधियां, जिसमें/जिनमें अनुपरिथित की अवधि अथवा अवधियां शामिल हैं जिसके/जिनके दौरान उसने उस ग्रेड में नियमित आधार पर कोई पद धारित किया होता, परन्तु उसके छुट्टी पर होने अथवा ऐसा पद धारित करने के लिए अन्यथा उपलब्ध न होने के नाते उस वर्ष, जिसके लिए भर्ती की गयी थी, भर्ती के वर्ष के पहले दिन से:

परन्तु उपर्युक्त उपखंड (I), (II) और (III) में उल्लिखित किसी भी मामले में जहां नियुक्ति पर कार्यब्रहण करने में 90 दिन से अधिक का विलम्ब होता है, तो ऐसा विलम्ब अधिकारी की ओर से किसी भी चूक के कारण नहीं होना चाहिए।

टिप्पण 04 : जहां ऐसे कनिष्ठ अधिकारियों, जिन्होंने अपनी अर्हक /पात्रता सेवा पूरी कर ली है पर प्रोन्नित के लिए विचार किया जा रहा है, वहां उनके वरिष्ठ अधिकारियों पर भी विचार किया जाएगा बसतें कि उनकी अपेक्षित अर्हक /पात्रता सेवा ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक अथवा दो वर्ष, जो भी कम हो, से कम न हो, और अपने कनिष्ठ अधिकारियों, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है के साथ अगले उच्चतर ग्रेड में प्रोन्नित के लिए परिवीक्षा अविध सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो";

(वं) प्रोन्नित शीर्ष के अधीन स्तम्म संख्या 12 में प्रधान निजी सचिव के पद के सामने क्रम संख्या 08 में टिप्पण 02 और उससे संबंधित प्रविब्टियों के पश्चात निम्निलिखत अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"टिप्पण 03: भर्ती के वर्ष के पहले दिन ग्रेंड में पदावास (रेजीडेंसी) अविध के रूप में की गयी अनुमोदित सेवा की गणना प्रोन्नित के लिए की जाएगी । भर्ती की विभिन्न पद्धतियों के लिए अनुमोदित सेवा की परिभावा निम्नानुसार होगी:

- (1) जस ग्रेंड में सीधी भर्ती से चयनित किसी अधिकारी के सदर्भ में, जस ग्रेंड में की गयी नियमित सेवा की अवधि या अवधियां, जिसमें/जिनमें अनुपरिथित की अवधि अथवा अवधियां शामिल हैं जिसके/जिनके दौरान जसने जस ग्रेंड में नियमित आधार पर कोई पद घारित किया होता, परन्तु जसके छुट्टी पर होने अथवा ऐसा पद धारित करने के लिए अन्यथा जपलब्ध न होने के नाते जस वर्ष, जिसमें सीधी भर्ती के लिए परीक्षा आयोजित की गयी थी, से आगामी भर्ती के वर्ष के पहले दिन से;
- (॥) जस ग्रेंड में विभागीय परीक्षा के माध्यम से भर्ती किए गए किसी अधिकारी के सर्वर्ग में, उस ग्रेंड में की गयी नियमित सेवा की अविध या अविधयां, जिसमें/जिनमें अनुपरिधति की अविध अथवा अविधयां शामिल हैं जिसके/जिनके दौरान उसने उस ग्रेंड में नियमित आधार पर कोई पद धारित किया होता, परन्तु उसके छुट्टी पर होने अथवा ऐसा पद धारित करने के लिए अन्यथा उपलब्ध न होने के नाते उस वर्ष, जिसकी रिक्तियों के लिए ऐसी परीक्षा आयोजित की गयी थी, भर्ती के वर्ष के पहले दिन से;
- (III) उस ग्रेंड में किसी निम्नतर ग्रेंड में सेवा की अवधि के आधार पर धर्ती किए गए किसी अधिकारी के सर्दर्भ में, उस ग्रेंड में की गयी नियमित सेवा की अवधि या अवधियां, जिंसमें/जिनमें अनुपस्थिति की अवधि अथवा अवधियां शामिल हैं जिसके/जिनके दौरान उसने उस ग्रेंड में नियमित आधार पर कोई पद धारित किया होता, परन्तु उसके छुट्टी पर होने अथवा ऐसा पद धारित करने के लिए अन्यथा उपलब्ध न होने के नाते उस वर्ष, जिसके लिए भर्ती की गयी थी, भर्ती के वर्ष के पहले दिन से;

परन्तु उपर्युक्त उपखंड (I), (II) और (III) में उल्लिखित किसी भी मामले में जहां नियुक्ति पर कार्यग्रहण करने में 90 दिन से अधिक का विलम्ब होता है, तो ऐसा विलम्ब अधिकारी की और से किसी भी चूक के कारण नहीं होना चाहिए।

टिप्पण 04: जहां ऐसे किनष्ठ अधिकारियों, जिन्होंने अपनी अर्हक /पात्रता सेवा पूरी कर ली है पर प्रोन्नित के लिए विचार किया जा रहा है, वहां उनके विरुठ अधिकारियों पर भी विचार किया जाएगा बशतें कि उनकी अपेक्षित अर्हक /पात्रता सेवा ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक अथवा दो वर्ष, जो भी कम हो, से कम न हो, और अपने किनष्ठ अधिकारियों, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है के साथ अगले उच्चतर ग्रेड में प्रोन्नित के लिए परिवीक्षा अविध सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो";

(छ) प्रतिनियुक्ति शीर्ष के अधीन स्तम्भ संख्या 12 में कार्यपालक अभियंता (सिविल) के पद के सामने क्रम संख्या 07 में टिप्पण 02 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात:-

"टिप्पण 03: भर्ती के वर्ष के पहले दिन ग्रेंड में पदावास (रेज़ीडेंसी) अवधि के रूप में की गयी अनुमोदित सेवा की गणना प्रोन्नति के लिए की जाएगी। भर्ती की विभिन्न पद्धतियों के लिए अनुमोदित सेवा की परिमाना निम्नानुसार होगी:

- (!) जस ग्रेंड में सीधी भर्ती से चयनित किसी अधिकारी के सदर्भ में, जस ग्रेंड में की गयी नियमित सेवा की अवधि या अवधियां, जिसमें/जिनमें अनुपस्थिति की अवधि अथवा अवधियां शामिल हैं जिसके/जिनके दौरान जसने जस ग्रेंड में नियमित आधार पर कोई पद धारित किया होता, परन्तु जसके छुट्टी पर होने अथवा ऐसा पद धारित करने के लिए अन्यथा जपलब्ध न होने के नाते जस वर्ष, जिसमें सीधी भर्ती के लिए परीक्षा आयोजित की गयी थी, से आगामी भर्ती के वर्ष के पहले दिन से;
- (II) उस ग्रेड में विभागीय परीक्षा के माध्यम से भर्ती किए गए किसी अधिकारी के सदर्भ में, उस ग्रेड में की गयी नियमित सेवा की अविध या अविधयां, जिसमें/जिनमें अनुपस्थिति की अविध अथवा अविधयां शामिल हैं जिसके/जिनके दौरान उसने उस ग्रेड में नियमित आधार पर कोई पद धारित किया होता, परन्तु उसके छुट्टी पर होने अथवा ऐसा पद धारित करने के लिए अन्यथा उपलब्ध न होने के नाते उस वर्ष, जिसकी रिक्तियों के लिए ऐसी परीक्षा आयोजित की गयी थी, भर्ती के वर्ष के पहले दिन से;
- (III) जस ग्रेड में किसी निम्नतर ग्रेड में सेवा की अवधि के आधार पर भर्ती किए गए किसी अधिकारी के सदर्भ में, जस ग्रेड में की गयी नियमित सेवा की अवधि या अवधियां, जिसमें/जिनमें अनुपरिचित की अवधि अथवा अवधियां शामिल हैं जिसके/जिनके दौरान जसने जस ग्रेड में नियमित आधार पर कोई पद धारित किया होता, परन्तु जसके छुट्टी पर होने अथवा ऐसा पद धारित करने के लिए अन्यथा जपलब्ध न होने के नाते जस वर्ष, जिसके लिए भर्ती की गयी थी, भर्ती के वर्ष के पहले दिन से:

परन्तु उपर्युक्त उपखंड (i), (ii) और (iii) में उल्लिखित किसी भी मामले में जहां नियुक्ति पर कार्यग्रहण करने में 90 दिन से अधिक का विलम्ब होता है, तो ऐसा विलम्ब अधिकारी की ओर से किसी भी चूक के कारण नहीं होना चाहिए।

टिप्पण 04 : जहां ऐसे कनिष्ठ अधिकारियों, जिन्होंने अपनी **अर्डक /**पात्रता सेवा पूरी कर ली है पर प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा है, वहां उनके वरिष्ठ अधिकारियों पर भी विचार किया जाएगा बज़तें कि उनकी अपेबित अर्डक /पात्रता सेवा ऐसी अर्डक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक अथवा दो वर्ड, जो भी कम हो, से कम न हो, और अपने कनिष्ठ अधिकारियों, जिन्होंने ऐसी अर्डक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है के साथ अगले उच्चतर ग्रेड में प्रोन्नति के लिए परिवीक्षा अविध सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो";

(ज) प्रोन्नित शीर्ष के अधीन स्तम्य संख्या 12 में वरिष्ठ हिंदी अधिकारी के पद के सामने क्रम संख्या 08 में टिप्पण 02 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नितिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्-

"टिप्पण 03: धर्ती के वर्ष के पहले दिन ग्रेंड में पदावास (रेज़ीडेंसी) अवधि के रूप में की गयी अनुमोदित सेवा की गणना प्रोन्नति के लिए की जाएगी। धर्ती की विभिन्न पद्धतियों के लिए अनुमोदित सेवा की परिभावा निम्नानुसार होगी:

- (f) जस ग्रेंड में सीबी भर्ती से चयनित किसी अधिकारी के सदर्भ में, उस ग्रेंड में की गयी नियमित सेवा की अविधि या अविधियां, जिसमें/जिनमें अनुपस्थिति की अविधि अथवा अविधियां शामिल हैं जिसके/जिनके दौरान उसने उस ग्रेंड में नियमित आधार पर कोई पद धारित किया होता, परन्तुं उसके छुट्टी पर होने अथवा ऐसा पद धारित करने के लिए अन्यथा उपलब्ध न होने के नाते उस वर्ष, जिसमें सीधी भर्ती के लिए परीक्षा आयोजित की गयी थी, से आगामी
- (II) उस ग्रेंड में विभागीय परीक्षा के माध्यम से भर्ती किए गए किसी अधिकारी के सदर्भ में, उस ग्रेंड में की गयी नियमित सेवा की अविध अधिवा अविधयां, जिसमें/जिनमें अनुपस्थिति की अविध अधिवा अविधयां शामिल हैं जिसके/जिनके दौरान उसने उस ग्रेंड में नियमित आधार पर कोई पद धारित किया होता. परन्तु उसके छुट्टी पर होने अथवा ऐसा पद धारित करने के लिए अन्यथा उपलब्ध न होने के नाते उस वर्ष, जिसकी रिक्तियों के लिए ऐसी परीक्षा आयोजित की गयी थी, भर्ती के वर्ष के पहले दिन से;
- (III) जस ग्रेंड में किसी निम्नतर ग्रेंड में सेवा की अवधि के आधार पर भर्ती किए गए किसी अधिकारी के सदर्भ में, जस ग्रेंड में की गयी नियमित सेवा की अवधि या अवधियां, जिसमें/जिनमें अनुपस्थित की अवधि अथवा अवधियां श्वामिल हैं जिसके/जिनके दौरान जसने जस ग्रेंड में नियमित आधार पर कोई पद धारित किया होता, परन्तु जसके छुट्टी पर होने अथवा ऐसा पद धारित करने के लिए अन्यथा उपलब्ध न होने के नाते जस वर्ष, जिसके लिए भर्ती की गयी थी, भर्ती के वर्ष के पहले दिन से;

परन्तु चपर्युक्त उपखंड (I), (II) और (III) में चिल्लिखित किसी भी मामले में जहां नियुक्ति पर कार्यब्रहण करने में 90 दिन से अधिक का बिलम्ब होता है, तो ऐसा बिलम्ब अधिकारी की ओर से किसी भी चूक के कारण नहीं होना चाहिए।

टिप्पण 04: जहां ऐसे किनश्व अधिकारियों, जिन्होंने अपनी अर्हक शात्रता सेवा पूरी कर ली है पर प्रोन्नित के लिए विचार किया जा रहा है, वहां उनके विश्व अधिकारियों पर भी विचार किया जाएगा बशर्ते कि उनकी अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक अथवा दो वर्ष, जो भी कम हो, से कम न हो, और अपने किनश्व अधिकारियों, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है के साथ अगले उच्चतर प्रेड में प्रोन्नित के लिए परिवीक्षा अविध सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो";

(झ) प्रोन्नित शीर्ष के अधीन स्तम्भ संख्या 12 में वरिष्ठ विश्लेषक के पद के सामने क्रम संख्या 09 में टिप्पण 02 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्निलिखत अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"टिप्पण 03: भर्ती के वर्ष के पहले दिन ग्रेंड में पदावास (रेज़ीइंसी) अवधि के रूप में की गयी अनुमोदित सेवा की गणना प्रोन्नति के लिए की जाएगी । भर्ती की विभिन्न पद्धतियों के लिए अनुमोदित सेवा की परिभाषा निम्नानुसार होगी:

- (I) जस ग्रेंड में सीधी भर्ती से चयनित किसी अधिकारी के सदर्भ में, उस ग्रेंड में की गयी नियमित सेवा की अविध या अविधयां, जिसमें/जिनमें अनुपस्थिति की अविध अथवा अविधयां शामिल हैं जिसके/जिनके दौरान उसने उस ग्रेंड में नियमित आधार पर कोई पद धारित किया होता, परूतु उसके छुट्टी पर होने अथवा ऐसा पद धारित करने के लिए अन्यथा उपलब्ध न होने के नाते उस वर्ष, जिसमें सीधी भर्ती के लिए परीक्षा आयोजित की गयी थी, से आगामी भर्ती के वर्ष के पहले दिन से;
- (ii) उस ग्रेंड में विभागीय परीक्षा के माध्यम से भर्ती किए गए किसी अधिकारी के सदर्भ में, उस ग्रेंड में की गयी नियमित सेवा की अवधि या अवधियां, जिसमें/जिनमें अनुपस्थिति की अवधि अथवा अवधियां शामिल हैं जिसके/जिनके दौरान उसने उस ग्रेंड में नियमित आधार पर कोई पद धारित किया होता, परन्तु उसके छुट्टी पर होने अथवा ऐसा पद धारित करने के लिए अन्यथा उपलब्ध न होने के नाते उस वर्ष, जिसकी रिक्तियों के लिए ऐसी परीक्षा आयोजित की गयी थीं, भर्ती के वर्ष के पहले दिन से;
- (III) उस ग्रेड में किसी निम्नतर ग्रेड में सेवा की अवधि के आधार पर भर्ती किए गए किसी अधिकारी के सदर्भ में, उस ग्रेड में की गयी नियमित सेवा की अवधि या अवधियां, जिसमें/जिनमें अनुपस्थिति की अवधि अथवा अवधियां शामिल हैं जिसके/जिनके दौरान उसने उस ग्रेड में नियमित आधार पर कोई पद धारित किया होता, परन्तु उसके छुट्टी पर होने अथवा ऐसा पद धारित करने के लिए अन्यथा उपलब्ध न होने के नाते उस वर्ष, जिसके लिए भर्ती की गयी थी, भर्ती के वर्ष के पहले दिन से;

परन्तु जपर्युक्त जपखंड (i), (ii) और (iii) में जल्लिखित किसी भी मामले में जहां नियुक्ति पर कार्यग्रहण करने में 90 दिन से अधिक का विलम्ब होता है, तो ऐसा विलम्ब अधिकारी की ओर से किसी भी चूक के कारण नहीं होना चाहिए।

3246 GIT15-2

टिप्पण 04 : जहां ऐसे कनिष्ठ अधिकारियों, जिन्होंने अपनी अर्हक,पात्रता सेवा पूरी कर ली है पर प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा है, वहां उनके विश्व अधिकारियों पर भी विचार किया जाएगा बशर्ते कि उनकी अपेक्षित अर्हक पात्रता सेवा ऐसी अर्हक,पात्रता सेवा के आधे से अधिक अथवा दो वर्ब, जो भी कम हो, से कम न हो, और अपने कनिष्ठ अधिकारियों, जिन्होंने ऐसी अर्हक,पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है के साथ अगले उच्चतर ग्रेड में प्रोन्नति के लिए परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो";

(ञ) प्रोन्नित शीर्ष के अधीन स्तम्भ संख्या 12 में सुरक्षा अधिकारी के पद के सामने क्रम संख्या 10 में टिप्पण 02 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नितिखत अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात:-

"टिप्पण 03: भर्ती के वर्ष के पहले दिन ग्रेड में पदावास (रेजींडेंसी) अवधि के रूप में की गयी अनुमोदित सेवा की गणना प्रोन्नति के लिए की जाएगी। भर्ती की विभिन्न पद्धतियों के लिए अनुमोदित सेवा की परिभाषा निम्नानुसार होगी:

- (i) जस ग्रेंड में सीधी भर्ती से चयनित किसी अधिकारी के सदर्भ में, जस ग्रेंड में की गयी नियमित सेवा की अवधि या अवधियां, जिसमें/जिनमें अनुपस्थिति की अवधि अथवा अवधियां शामिल हैं जिसके/जिनके दौरान जसने जस ग्रेंड में नियमित आधार पर कोई पद धारित किया होता, परन्तु उसके छुट्टी पर होने अथवा ऐसा पद धारित करने के लिए अन्यथा जपलब्ध न होने के नाते जस वर्ष, जिसमें सीधी भर्ती के लिए परीक्षा आयोजित की गयी थी, से आगामी भर्ती के दर्ष के पहले दिन से;
- (II) जस ग्रेड में विभागीय परीक्षा के माध्यम से भर्ती किए गए किसी अधिकारी के सदर्भ में, उस ग्रेड में की गयी नियमित सेवा की अविध या अविधयां, जिसमें/जिनमें अनुपरिथित की अविध अथवा अविधयां शामिल हैं जिसके/जिनके दौरान उसने उस ग्रेड में नियमित आधार पर कोई पद धारित किया होता, परन्तु उसके छुट्टी पर होने अथवा ऐसा पद धारित करने के लिए अन्यथा उपलब्ध न होने के नाते उस वर्ष, जिसकी रिक्तियों के लिए ऐसी परीक्षा आयोजित की गयी थी, भर्ती के वर्ष के पहले दिन से;
- (III) जस ग्रेंड में किसी निम्नतर ग्रेंड में सेवा की अविध के आधार पर भर्ती किए गए किसी अधिकारी के सर्दर्भ में, जस ग्रेंड में की गयी नियमित सेवा की अविध या अविधयां, जिसमें/जिनमें अनुपस्थिति की अविध अथवा अविधयां शामिल हैं जिसके/जिनके दौरान जसने जस ग्रेंड में नियमित आधार पर कोई पद धारित किया होता, परन्तु जसके छुट्टी पर होने अथवा ऐसा पद धारित करने के लिए अन्यथा उपलब्ध न होने के नाते जस वर्ष, जिसके लिए भर्ती की गयी थी, भर्ती के वर्ष के पहले दिन से;

परन्तु उपर्युक्त उपखंड (i), (ii) और,(iii) में उल्लिखित किसी भी मामले में जहां नियुक्ति पर कार्यग्रहण करने में 90 दिन से अधिक का विलम्ब होता है, तो ऐसा विलम्ब अधिकारी की ओर से किसी भी चूक के कारण नहीं होना चाहिए।

टिप्पण 04 : जहां ऐसे किनष्ठ अधिकारियों, जिन्होंने अपनी अर्हक /पात्रता सेवा पूरी कर ली है पर प्रोन्नित के लिए विचार किया जा रहा है, वहां उनके वरिष्ठ अधिकारियों पर भी विचार किया जाएगा बशर्ते कि उनकी अपेक्षित अर्हक /पात्रता सेवा ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक अथवा दो दर्व, जो भी कम हो, से कम न हो, और अपने किनष्ठ अधिकारियों, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है के साथ अगले उच्चतर ग्रेड में प्रोन्नित के लिए परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो";

(ट) प्रोन्नित शीर्ष के अधीन स्तम्भ संख्या 12 में वरिष्ठ मंडार अधिकारी के पद के सामने क्रम संख्या 11 में टिप्पण 02 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्निलिखत अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात:-

"टिप्पण 03: भर्ती के वर्ष के पहले दिन ग्रेंड में पदावास (रेज़ीडेंसी) अवधि के रूप में की गयी अनुमोदित सेवा की गणना प्रोन्नति के लिए की जाएगी। भर्ती की विभिन्न पद्धतियों के लिए अनुमोदित सेवा की परिभाषा निम्नानुसार होगी:

- (I) जस ग्रेड में सीधी भर्ती से चयनित किसी अधिकारी के सदर्भ में, जस ग्रेड में की गयी नियमित सेवा की अवधि या अवधियां, जिसमें/जिनमें अनुपस्थित की अवधि अथवा अवधियां शामिल हैं जिसके/जिनके दौरान जसने जस ग्रेड में नियमित आधार पर कोई पद धारित किया होता, परन्तु जसके छुट्टी पर होने अथवा ऐसा पद धारित करने के लिए अन्यथा जपलब्ध न होने के नाते जस वर्ष, जिसमें सीधी भर्ती के लिए परीक्षा आयोजित की गयी थी, से आगामी भर्ती के वर्ष के पहले दिन से:
- (॥) जस ब्रेंड में विभागीय परीक्षा के माध्यम से भर्ती किए गए किसी अधिकारी के सदर्भ में, जस ब्रेंड में की गयी नियमित सेवा की अविध्व या अविध्यां, जिसमें/जिनमें अनुपस्थित की अविध्व अविध्यां शामिल हैं जिसके/जिनके दौरान जसने जस ब्रेंड में नियमित आधार पर कोई पद धारित किया होता, परन्तु जसके छुट्टी पर होने अथवा ऐसा पद धारित करने के लिए अन्यथा जपलब्ध न होने के नाते जस वर्ष, जिसकी रिक्तियों के लिए ऐसी परीक्षा आयोजित की गयी थी, भर्ती के वर्ष के पहले दिन से:
- (III) जस ग्रेंड में किसी निम्नतर ग्रेंड में सेवा की अवधि के आधार पर भर्ती किए गए किसी अधिकारी के सदर्भ में, उस ग्रेंड में की गयी नियमित सेवा की अवधि या अवधियां, जिसमें/जिनमें अनुपस्थिति की अवधि अथवा अवधियां शामिल हैं जिसके/जिनके दौरान उसने उस ग्रेंड में नियमित आधार पर कोई पद धारित किया होता, परन्तु उसके छुट्टी पर होने अथवा ऐसा पद धारित करने के लिए अन्यथा उपलब्ध न होने के नाते उस वर्ष, जिसके लिए भर्ती की गयी थी, भर्ती के बर्ष के पहले दिन से;

परन्तु जपर्युक्त जपखंड (I), (II) और (III) में जिल्लाखित किसी भी मामले में जहां नियुक्ति पर कार्यप्रहण करने में 90 दिन से अधिक का विलम्ब होता है, तो ऐसा विलम्ब अधिकारी की ओर से किसी भी चुक के कारण नहीं होना चाहिए।

टिप्पण 04 : जहां ऐसे कनिष्ठ अधिकारियों, जिन्होंने अपनी अर्डक /पात्रता सेवा पूरी कर ली है पर प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा है, वहां उनके वरिष्ठ अधिकारियों पर भी विचार किया जाएगा बहातें कि उनकी अपेक्षित अर्डक /पात्रता सेवा ऐसी अर्डक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक अथवा दो वर्ष, जो भी कम हो, से कम न हो, और अपने कनिष्ठ अधिकारियों, जिन्होंने ऐसी अर्डक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है के साथ अगले उच्चतर ग्रेड में प्रोन्नति के लिए परिवीक्षा अविध सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो";

(ठ) प्रोन्नित शीर्ष के अधीन स्तम्भ संख्या 12 में उप वित्तीय सलाहकार के पद के सामने क्रम संख्या 12 में टिप्पण 02 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के परचात निम्नित्यित अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात:-

"टिप्पण 03: भर्ती के वर्ष के पहले दिन ग्रेंड में पदावास (रेजीडेंसी) अवधि के रूप में की गयी अनुमोदित सेवा की गणना प्रोन्नित के लिए की जाएगी। भर्ती की विभिन्न पद्धतियों के लिए अनुमोदित सेवा की परिभाषा निम्नानुसार होगी:

- (I) जस ग्रेंड में सीधी भर्ती से वयनित किसी अधिकारी के सदर्भ में, जस ग्रेंड में की गयी नियमित सेवा की अविध या अविधयां, जिसमें/जिनमें अनुपस्थिति की अविध अथवा अविधयां शामिल हैं जिसके/जिनके दौरान जसने जस ग्रेंड में नियमित आधार पर कोई पद शारित किया होता, परन्तु जसके छुट्टी पर होने अथवा ऐसा पद शारित करने के लिए अन्यथा जपलब्ध न होने के नाते जस वर्ष, जिसमें सीधी भर्ती के लिए परीक्षा आयोजित की गयी थी, से आगामी भर्ती के वर्ष के पहले दिन से;
- (II) जस ब्रेंड में विभागीय परीक्षा के माध्यम से भर्ती किए गए किसी अधिकारी के सदर्भ में, उस ब्रेंड में की गयी नियमित सेवा की अवधि या अवधियां, जिसमें/जिनमें अनुपस्थिति की अवधि अथवा अवधियां शामिल हैं जिसके/जिनके दौरान उसने उस ग्रेंड में नियमित आधार पर कोई पद धारित किया होता, परन्तु उसके छुट्टी पर होने अथवा ऐसा पद धारित करने के लिए अन्यथा उपलब्ध न होने के नाते उस वर्ष, जिसकी रिक्तियों के लिए ऐसी परीक्षा आयोजित की गयी थी, भर्ती के वर्ष के पहले दिन से:
- (III) जस ग्रेड में किसी निम्नतर ग्रेड में सेवा की अवधि के आधार पर भर्ती किए गए किसी अधिकारी के सदर्भ में, उस ग्रेड में की गयी नियमित सेवा की अवधि या अवधियां, जिसमें/जिनमें अनुपरिथित की अवधि अथवा अवधियां शामिल हैं जिसके/जिनके दौरान उसने उस ग्रेड में नियमित आधार पर कोई पद धारित किया होता, परन्तु उसके छुट्टी पर होने अथवा ऐसा पद धारित करने के लिए अन्यथा उपलब्ध न होने के नाते उस वर्ष, जिसके लिए भर्ती की गर्या थी, भर्ती के वर्ष के पहले दिन से:

परन्तु उपर्युक्त उपखंड (i), (ii) और (iii) में उस्लिखित किसी भी मामले में जहां नियुक्ति पर कार्यग्रहण करने में 90 दिन से अधिक का विलम्ब होता है, तो ऐसा विलम्ब अधिकारी की ओर से किसी भी चुक के कारण नहीं होना चाहिए।

टिप्पण 04 : जहां ऐसे कनिष्ठ अधिकारियों, जिन्होंने अपनी अर्हक /पात्रता सेवा पूरी कर ली है पर प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा है, वहां उनके वरिष्ठ अधिकारियों पर भी विचार किया जाएगा बसतें कि उनकी अपेक्षित अर्हक /पात्रता सेवा ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा के आये से अधिक अध्यवा दो वर्ष, जो भी कम हो, से कम न हो, और अपने कनिष्ठ अधिकारियों, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है के साथ अगले उध्यतर ब्रेड में प्रोन्नति के लिए परिवीक्षा अविध सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो"।

[फा. सं. 1(2)/2013-कार्मिक-III]

राजीव कुमार, संयुक्त सचिव

टिप्पणः मूल नियम सा.का.नि. 916 (अ) तारीख 18 दिसम्बर, 2009 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (I) में प्रकाशित किए गए।

## MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY (Department of Electronics and Information Technology) NOTIFICATION

New Delhi, the 27th July, 2015

- G.S.R. 588(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Ministry of Communications and Information Technology, Department of Information Technology (Group 'A' posts) Recruitment Rules, 2009, namely:-
- 1. (1) These rules may be called the Ministry of Communications and Information Technology, Department of Electronics and Information Technology (Group 'A' posts) Recruitment Amendment Rules, 2015.
  - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. In the Schedule to the Ministry of Communications and Information Technology, Department of Information Technology (Group 'A' posts) Recruitment Rules, 2009,-
  - (a) in serial number 01 against the post of Director, in column number 12, under the heading Promotion:, after Note 3: and the entries relating thereto, the following shall be inserted, namely:-

- **"Note 4:** The approved service rendered in the grade, on the 1st day of the Recruitment Year, as the residency period will be accounted for promotion. Definition of Approved Service for the various modes of recruitment will be as per below:-
- (i) in respect of an officer recruited directly to that grade, period or periods of regular service rendered in that grade, including period or periods of absence during which he would have held a post on regular basis in that grade but for his being on leave or otherwise not being available to hold such post, from the first day of the recruitment year, following the year in which the examination for direct recruitment was held;
- (ii) in respect of an officer recruited to that grade through departmental examination, period or periods of regular service rendered in that grade, including period or periods of absence during which he would have held a post on regular basis in that grade but for his being on leave or otherwise not being available to hold such post, from the first day of the recruitment year for vacancies of which such examination was held;
- (iii) in respect of an officer recruited to that grade on the basis of length of service in the lower grade, period or periods of regular service rendered in that grade, including period or periods of absence during which he would have held a post on regular basis in that grade but for his being on leave or otherwise not being available to hold such post, from the first day of the recruitment year for which the recruitment was made:

- Note 5: Where juniors who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying/eligibility service.";
- (b) in serial number 02 against the post of Joint Director, in column number 12, under the heading Promotion:, after Note 3: and the entries relating thereto, the following shall be inserted, namely:-
  - **\*Note 4:** The approved service rendered in the grade, on the 1st day of the Recruitment Year, as the residency period will be accounted for promotion. Definition of Approved Service for the various modes of recruitment will be as per below:
  - (i) in respect of an officer recruited directly to that grade, period or periods of regular service rendered in that grade, including period or periods of absence during which he would have held a post on regular basis in that grade but for his being on leave or otherwise not being available to hold such post, from the first day of the recruitment year, following the year in which the examination for direct recruitment was held;
  - (ii) in respect of an officer recruited to that grade through departmental examination, period or periods of regular service rendered in that grade, including period or periods of absence during which he would have held a post on regular basis in that grade but for his being on leave or otherwise not being available to hold such post, from the first day of the recruitment year for vacancies of which such examination was held;
  - (iii) in respect of an officer recruited to that grade on the basis of length of service in the lower grade, period or periods of regular service rendered in that grade, including period or periods of absence during which he would have held a post on regular basis in that grade but for his being on leave or otherwise not being available to hold such post, from the first day of the recruitment year for which the recruitment was made:

(c)

Provided that where there is delay of more than 90 days in joining on appointment, in any of the cases mentioned in the sub-clauses (i), (ii) and (iii) above, such delay should

not be due to any fault on the part of the officer.

Note 5: Where juniors who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying/eligibility service.";

in serial number 03 against the post of Joint Director (Hindi), in column number 12, under the heading Deputation:, after Note 2: and the entries relating thereto, the following shall

be inserted, namely:-

"Note 3: The approved service rendered in the grade, on the 1st day of the Recruitment Year, as the residency period will be accounted for promotion. Definition of Approved Service for the various modes of recruitment will be as per below:-

- (i) in respect of an officer recruited directly to that grade, period or periods of regular service rendered in that grade, including period or periods of absence during which he would have held a post on regular basis in that grade but for his being on leave or otherwise not being available to hold such post, from the first day of the recruitment year, following the year in which the examination for direct recruitment was held,
- (ii) in respect of an officer recruited to that grade through departmental examination, period or periods of regular service rendered in that grade, including period or periods of absence during which he would have held a post on regular basis in that grade but for his being on leave or otherwise not being available to hold such post, from the first day of the recruitment year for vacancies of which such examination was held;
- (iii) in respect of an officer recruited to that grade on the basis of length of service in lower grade, period or periods of regular service rendered in that grade, including period or periods of absence during which he would have held a post on regular basis in that grade but for his being on leave or otherwise not being available to hold such post, from the first day of the recruitment year for which the recruitment was made:

Provided that where there is delay of more than 90 days in joining on appointment, in any of the cases mentioned in the sub-clauses (i), (ii) and (iii) above, such delay should not be due to any fault on the part of the officer.

Note 4: Where juniors who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying/eligibility service.";

in serial number 04 against the post of Senior Principal Private Secretary, in column number 12, under the heading Deputation:, after Note 2: and the entries relating thereto, the following shall be inserted, namely:-

"Note 3: The approved service rendered in the grade, on the 1st day of the Recruitment Year, as the residency period will be accounted for promotion. Definition of Approved Service for the various modes of recruitment will be as per below:-

- (i) in respect of an officer recruited directly to that grade, period or periods of regular service rendered in that grade, including period or periods of absence during which he would have held a post on regular basis in that grade but for his being on leave or otherwise not being available to hold such post, from the first day of the recruitment year, following the year in which the examination for direct recruitment was held;
- (ii) in respect of an officer recruited to that grade through departmental examination, period or periods of regular service rendered in that grade, including period or periods of

absence during which he would have held a post on regular basis in that grade but for his being on leave or otherwise not being available to hold such post, from the first day of the recruitment year for vacancies of which such examination was held;

(iii) in respect of an officer recruited to that grade on the basis of length of service in the lower grade, period or periods of regular service rendered in that grade, including period or periods of absence during which he would have held a post on regular basis in that grade but for his being on leave or otherwise not being available to hold such post, from the first day of the recruitment year for which the recruitment was made:

Provided that where there is delay of more than 90 days in joining on appointment, in any of the cases mentioned in the sub-clauses (i), (ii) and (iii) above, such delay should not be due to any fault on the part of the officer.

Note 4: Where juniors who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying/eligibility service.";

in serial number 05 against the post of Deputy Director, in column number 12, under the heading Promotion:, after Note 2: and the entries relating thereto, the following shall be inserted, namely:-

"Note 3: The approved service rendered in the grade, on the 1st day of the Recruitment Year, as the residency period will be accounted for promotion. Definition of Approved Service for the various modes of recruitment will be as per below:-

- (i) in respect of an officer recruited directly to that grade, period or periods of regular service rendered in that grade, including period or periods of absence during which he would have held a post on regular basis in that grade but for his being on leave or otherwise not being available to hold such post, from the first day of the recruitment year, following the year in which the examination for direct recruitment was held;
- (ti) in respect of an officer recruited to that grade through departmental examination, period or periods of regular service rendered in that grade, including period or periods of absence during which he would have held a post on regular basis in that grade but for his being on leave or otherwise not being available to hold such post, from the first day of the recruitment year for vacancies of which such examination was held;
- (iii) in respect of an officer recruited to that grade on the basis of length of service in the lower grade, period or periods of regular service rendered in that grade, including period or periods of absence during which he would have held a post on regular basis in that grade but for his being on leave or otherwise not being available to hold such post, from the first day of the recruitment year for which the recruitment was made:

Provided that where there is delay of more than 90 days in joining on appointment, in any of the cases mentioned in the sub-clauses (i), (ii) and (iii) above, such delay should not be due to any fault on the part of the officer.

Note 4: Where juniors who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying/eligibility service.";

- (f) in serial number 06 against the post of Principal Private Secretary, in column number 12, under the heading Promotion:, after Note 2: and the entries relating thereto, the following shall be inserted, namely:-
  - "Note 3: The approved service rendered in the grade, on the 1st day of the Recruitment Year, as the residency period will be accounted for promotion. Definition of Approved Service for the various modes of recruitment will be as per below:-
  - (i) in respect of an officer recruited directly to that grade, period or periods of regular service rendered in that grade, including period or periods of absence during which he would have held a post on regular basis in that grade but for his being on leave or otherwise not being available to hold such post, from the first day of the recruitment year, following the year in which the examination for direct recruitment was held;
  - (ii) in respect of an officer recruited to that grade through departmental examination, period or periods of regular service rendered in that grade, including period or periods of absence during which he would have held a post on regular basis in that grade but for his being on leave or otherwise not being available to hold such post, from the first day of the recruitment year for vacancies of which such examination was held;
  - (iii) in respect of an officer recruited to that grade on the basis of length of service in the lower grade, period or periods of regular service rendered in that grade, including period or periods of absence during which he would have held a post on regular basis in that grade but for his being on leave or otherwise not being available to hold such post, from the first day of the recruitment year for which the recruitment was made:

Note 4: Where juniors who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying/eligibility service.";

in serial number 07 against the post of Executive Engineer (Civil), in column number 12, under the heading Deputation:, after Note 2: and the entries relating thereto, the following shall be inserted, namely:-

"Note 3: The approved service rendered in the grade, on the 1st day of the Recruitment Year, as the residency period will be accounted for promotion. Definition of Approved Service for the various modes of recruitment will be as per below:-

- (i) in respect of an officer recruited directly to that grade, period or periods of regular service rendered in that grade, including period or periods of absence during which he would have held a post on regular basis in that grade but for his being on leave or otherwise not being available to hold such post, from the first day of the recruitment year, following the year in which the examination for direct recruitment was held;
- (ii) in respect of an officer recruited to that grade through departmental examination, period or periods of regular service rendered in that grade, including period or periods of absence during which he would have held a post on regular basis in that grade but for his being on leave or otherwise not being available to hold such post, from the first day of the recruitment year for vacancies of which such examination was held:
- (iii) in respect of an officer recruited to that grade on the basis of length of service in the lower grade, period or periods of regular service rendered in that grade, including period or periods of absence during which he would have held a post on regular basis in that grade but for his being on leave or otherwise not being available to hold such post, from the first day of the recruitment year for which the recruitment was made:

Note 4: Where juniors who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying/eligibility service.";

(h) in serial number 08 against the post of Senior Hindi Officer, in column number 12, under the heading Promotion:, after Note 2: and the entries relating thereto, the following shall be inserted, namely:-

"Note 3: The approved service rendered in the grade, on the 1st day of the Recruitment Year, as the residency period will be accounted for promotion. Definition of Approved Service for the various modes of recruitment will be as per below:-

- (i) in respect of an officer recruited directly to that grade, period or periods of regular service rendered in that grade, including period or periods of absence during which he would have held a post on regular basis in that grade but for his being on leave or otherwise not being available to hold such post, from the first day of the recruitment year, following the year in which the examination for direct recruitment was held;
- (ii) in respect of an officer recruited to that grade through departmental examination, period or periods of regular service rendered in that grade, including period or periods of absence during which he would have held a post on regular basis in that grade but for his being on leave or otherwise not being available to hold such post, from the first day of the recruitment year for vacancies of which such examination was held;
- (iii) in respect of an officer recruited to that grade on the basis of length of service in the lower grade, period or periods of regular service rendered in that grade, including period or periods of absence during which he would have held a post on regular basis in that grade but for his being on leave or otherwise not being available to hold such post, from the first day of the recruitment year for which the recruitment was made:

Provided that where there is delay of more than 90 days in joining on appointment, in any of the cases mentioned in the sub-clauses (i), (ii) and (iii) above, such delay should not be due to any fault on the part of the officer.

Note 4: Where juniors who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying/eligibility service.\*;

(i) in serial number 09 against the post of Senior Analyst, in column number 12, under the heading Promotion:, after Note 2: and the entries relating thereto, the following shall be inserted, namely:-

\*Note 3: The approved service rendered in the grade, on the 1\* day of the Recruitment Year, as the residency period will be accounted for promotion. Definition of Approved Service for the various modes of recruitment will be as per below:-

(i) in respect of an officer recruited directly to that grade, period or periods of regular service rendered in that grade, including period or periods of absence during which he would have held a post on regular basis in that grade but for his being on leave or otherwise not being available to hold such post, from the first day of the recruitment year, following the year in which the examination for direct recruitment was held;

(i)

- (ii) in respect of an officer recruited to that grade through departmental examination, period or periods of regular service rendered in that grade, including period or periods of absence during which he would have held a post on regular basis in that grade but for his being on leave or otherwise not being available to hold such post, from the first day of the recruitment year for vacancies of which such examination was held;
- (iii) in respect of an officer recruited to that grade on the basis of length of service in the lower grade, period or periods of regular service rendered in that grade, including period or periods of absence during which he would have held a post on regular basis in that grade but for his being on leave or otherwise not being available to hold such post, from the first day of the recruitment year for which the recruitment was made:

Provided that where there is delay of more than 90 days in joining on appointment, in any of the cases mentioned in the sub-clauses (i), (ii) and (iii) above, such delay should not be due to any fault on the part of the officer.

Note 4: Where juniors who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying/eligibility service.";

in serial number 10 against the post of Security Officer, in column number 12, under the heading Promotion:, after Note 2: and the entries relating thereto, the following shall be inserted, namely:-

"Note 3: The approved service rendered in the grade, on the 1st day of the Recruitment Year, as the residency period will be accounted for promotion. Definition of Approved Service for the various modes of recruitment will be as per below:-

- (i) in respect of an officer recruited directly to that grade, period or periods of regular service rendered in that grade, including period or periods of absence during which he would have held a post on regular basis in that grade but for his being on leave or otherwise not being available to hold such post, from the first day of the recruitment year, following the year in which the examination for direct recruitment was held;
- (ii) in respect of an officer recruited to that grade through departmental examination, period or periods of regular service rendered in that grade, including period or periods of absence during which he would have held a post on regular basis in that grade but for his being on leave or otherwise not being available to hold such post, from the first day of the recruitment year for vacancies of which such examination was held:
- (iii) in respect of an officer recruited to that grade on the basis of length of service in the lower grade, period or periods of regular service rendered in that grade, including period or periods of absence during which he would have held a post on regular basis in that grade but for his being on leave or otherwise not being available to hold such post, from the first day of the recruitment year for which the recruitment was made:

Provided that where there is delay of more than 90 days in joining on appointment, in any of the cases mentioned in the sub-clauses (i), (ii) and (iii) above, such delay should not be due to any fault on the part of the officer.

Note 4: Where juniors who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying/eligibility service.";

- (k) in serial number 11 against the post of Senior Stores Officer, in column number 12, under the heading Promotion:, after Note 2: and the entries relating thereto, the following shall be inserted, namely:-
  - "Note 3: The approved service rendered in the grade, on the 1st day of the Recruitment Year, as the residency period will be accounted for promotion. Definition of Approved Service for the various modes of recruitment will be as per below:-
  - (i) in respect of an officer recruited directly to that grade, period or periods of regular service rendered in that grade, including period or periods of absence during which he would have held a post on regular basis in that grade but for his being on leave or otherwise not being available to hold such post, from the first day of the recruitment year, following the year in which the examination for direct recruitment was held;
  - (ii) in respect of an officer recruited to that grade through departmental examination, period or periods of regular service rendered in that grade, including period or periods of absence during which he would have held a post on regular basis in that grade but for his being on leave or otherwise not being available to hold such post, from the first day of the recruitment year for vacancies of which such examination was held;
  - (iii) in respect of an officer recruited to that grade on the basis of length of service in the lower grade, period or periods of regular service rendered in that grade, including period or periods of absence during which he would have held a post on regular basis in that grade but for his being on leave or otherwise not being available to hold such post, from the first day of the recruitment year for which the recruitment was made:

- Note 4: Where juniors who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying/eligibility service.";
- (l) in serial number 12 against the post of Deputy Financial Adviser, in column number 12, under the heading Promotion:, after Note 2: and the entries relating thereto, the following shall be inserted, namely:-
  - "Note 3: The approved service rendered in the grade, on the 1st day of the Recruitment Year, as the residency period will be accounted for promotion. Definition of Approved Service for the various modes of recruitment will be as per below:-
  - (i) in respect of an officer recruited directly to that grade, period or periods of regular service rendered in that grade, including period or periods of absence during which he would have held a post on regular basis in that grade but for his being on leave or otherwise not being available to hold such post, from the first day of the recruitment year, following the year in which the examination for direct recruitment was held;
  - (ii) in respect of an officer recruited to that grade through departmental examination, period or periods of regular service rendered in that grade, including period or periods of absence during which he would have held a post on regular basis in that grade but for his being on leave or otherwise not being available to hold such post, from the first day of the recruitment year for vacancies of which such examination was held;
  - (iii) in respect of an officer recruited to that grade on the basis of length of service in the lower grade, period or periods of regular service rendered in that grade, including period or periods of absence during which he would have held a post on regular basis in that grade but for his being on leave or otherwise not being available to hold such post, from the first day of the recruitment year for which the recruitment was made:

Note 4: Where juniors who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying/eligibility service.

[F.No.1 (2)/2013-P.III]

RAJIV KUMAR, Jt. Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R. 916 (E), dated the 18th December, 2009.